

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-(J.J.H.A)-162/2020-1585 (मौ०) /पटना, दिनांक-19/8/2020

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,
कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, सीतामढ़ी।

विषय:-सीतामढ़ी जिले के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं का प्रबोधन प्रतिवेदन पर किये गये अनुवर्ती कार्रवाई के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-MD/PAT/RRR of WB-66/2020/951-54, दिनांक-10.08.2020
महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि चाँदी रजवारा वीथर एवं बहेरा वीथर का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण होने पर केन्द्रीय जल आयोग की टीम द्वारा पुनः स्थल निरीक्षण किया जायगा।

अनुरोध है कि योजनाओं का कार्य विशिष्ट एवं रूपांकण के अनुसार समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराया जाय। इस योजना को पूर्ण करने की अंतिम तिथि मार्च 2021 है। इसके बाद इसमें समयावधि विस्तार नहीं दिया जायगा।

विश्वासभाजन,

27/8/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

ज्ञापांक-1585 (मौ०)

/पटना, दिनांक-19/8/2020

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।